न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 116/2018/(2018/00116) जिला–नागौर

धन्नालाल पुत्र श्री भागीरथ जाति ब्राहम्ण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र भागीरथ मल जाति ब्राहम्ण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. सरपंच/ग्राम सेवक गाम पंचायत मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. उप तहसीलदार मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर डीडवाना दिनांक 02–06–2018
अन्तर्गत अपील संख्या 20/2017 बउनवान सन्तोष कुमार
बनाम धन्नालाल व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री सोहनपाल सिंह चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 13.03.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मौलासर तहसील डीडवाना में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1017/471 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्तकार अपीलांट के पिता भागीरथ पुत्र आसुराम जी थे जिन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 03–2–2016 को तहरीर करवायी जिसके आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 2937 दिनांक 14–11–2017 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने सहायक कलेक्टर, डीडवाना के

न्यायालय में धारा 75 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसको न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट मौलासर में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–6–2018 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 2937 को खारिज करने का आदेश पारित कर तहसीलदार डीडवाना को दोनों वसीयत पत्रों की जांच कर दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत नामांतरण निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि मौजा मौलासर तहसील डीडवाना में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1017/471 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्तकार अपीलार्थी के पिता भागीरथ पुत्र आसुराम थे जिन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 3–2–2016 को एक पंजीबद्ध वसीयत निष्पादित की जिसके आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2937 दिनांक 14–11–2017 स्वीकृत किया गया। उक्त पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 3–2–2016 के प्रभाव में रहते कानूनन नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर स्वीकत नामान्तरकरण संख्या 2937 दिनांक 14–11–2017 के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में धारा 75 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके पिता श्री भागीरथमल द्वारा उसके पक्ष में विवादित भूमि बाबत वसीयत दिनांक 21–3–2017 को तहरीर करवायी है जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उसके पिता भागीरथमल द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 21–3–2017 को तहरीर नहीं करवायी थी अपितु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने फर्जी तौर पर उक्त वसीयत तहरीर करवायी है जिसके आधार पर उसको विवादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा फर्जी वसीयत के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खातेदारी का नामान्तरकरण भी कानूनन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने फर्जी वसीयत दिनांक 21–3–2017 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विवादग्रस्त आराजियात की फर्जी तौर पर वसीयत अपने पक्ष में दिनांक 21–3–2017 को तहरीर करवायी जो कि अपंजीकृत दस्तावेज है और जिसकों अपीलार्थी के पक्ष में

तहरीर पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 3–2–2016 के प्रभाव में रहते कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती है। विवादग्रस्त आराजियात बाबत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने आज तक कोई एतराज नहीं किया गया एव ंना ही इस बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में कोई चाराजोही की गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 3–2–2016 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2937 दिनांक 14–11–2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार नहीं था। अपीलार्थी के पिता श्री भागीरथ द्वारा उसके पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 3–2–2016 को तहरीर करवायी जिसमें ग्राम मौलासर की मुख्य आबादी में स्थित पट्टा शुदा भूखण्ड का सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख किया गया जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में तहरीर फर्जी वसीयत दिनांक 21–3–2017 में उक्त भूखण्ड का कोई उल्लेख नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने पक्ष में दिनांक 21–3–2017 को फर्जी तौर पर वसीयत तहरीर करवायी है जिसके आधार पर विवादित भूमि उसकी खातेदारी में कानूनन दर्ज नहीं की जा सकती है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने पक्ष में तहरीर फर्जी वसीयत जिसमें वसीयतकर्ता द्वारा यह उल्लेख करना बताया कि मैंने मेरे शेष पुत्रों से सहमति ले ली है जो कि अपने आप में ही फर्जी एवं झूॅठे कथनों पर आधारित है क्योंकि अपीलार्थी को उसके पिता द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाने बाबत कभी भी पूछताछ नहीं की थी एव ंना ही अपीलार्थी को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में तहरीर फर्जी वसीयत की जानकारी दी गई। उक्त फर्जी वसीयत दिनांक 21–3–2017 में स्वयं द्वितीय पक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किये गये है एवं प्रथम पक्ष भागीरथ जी के भी फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। अपीलार्थी विवादित भूमि पर आज भी मौके पर खातेदार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 2937 की अपील न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 2–6–2018 के द्वारा स्वीकार कर ली जबकि न्याय आपके द्वार अभियान में कोई भी प्रकरण पक्षकारान की आपसी रजामंदी एवं सहमति के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता है । अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया गया कि प्रत्यर्थी धन्नालाल अपील को खारिज किये जाने का निवेदन कर रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने सहायक कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया एवं उसके साथ में धारा 212 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 168/17 प्रस्तुत किया गया जिसमें अन्तरिम आदेश दिनांक 29–11–2017 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया था। इस कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2937 दिनांक 14–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन

रहते हुए संधारण योग्य नहीं थी। इसके बावजूद पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर कानूनी भूल की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–6–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये यथा :–

1. RRT 2003 (1) पृष्ठ 650–माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस.बी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1033 से1036 /2001 निर्णय दिनांक 21–1–2003 जेठू सिंह बनाम भंवर सिंह व अन्य
2. RRD 14–1–2016 पृष्ठ 14 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिवीजन नम्बर 8724/उदयपुर /2006 निर्णय दिनांक 28–7–2015 श्रीमति भूर कंवर राजपूत व अन्य बनाम श्रीमति जग्गू कंवर नटनी व अन्य
3. RRD दिसम्बर 2002 पृष्ठ 724 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिवीजन नम्बर 127/सीकर /98 निर्णय दिनांक 16–10–2002 मोहिनी देवी बनाम मोहन व अन्य।
4. RBJ (9) 2002 पृष्ठ 580 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/एल.आर/111/97/बांरा / निर्णय दिनांक 30–8–2002 श्याम सुन्दर बनाम कांति बाई
5. RRD 1996 पृष्ठ 454 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिवीजन नम्बर 72/भीलवाड़ा /1992 निर्णय दिनांक 9–4–1996
6. RRD 1996 पृष्ठ 587 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिवीजन नम्बर 188/सवाई माधोपुर /1992 निर्णय दिनांक 24–7–1996

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता भागीरथमल पुत्र आसूराम ने दिनांक 21–3–2017 को एक अंतिम वसीयत निष्पादित की है। भागीरथ मल द्वारा पूर्व में अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 3–2–2016 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2937 दिनांक 14–11–2017 अपास्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के समक्ष निवेदन किया गया। विवादित आराजियात बाबत श्री भागीरथमल द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित अंतिम वसीयत ही कानूनन वैद्य है। अंतिम वसीयत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में होने से पूर्व की वसीयत स्वतः ही निरस्त योग्य है। सहायक कलेक्टर डीडवाना द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2937 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के दस्तावेजात की पुनः जांच कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नामान्तरकरण दर्ज करने के तहसीलदार डीडवाना को निर्देश प्रदान किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये यथा :–

(1) 2008 आर.आर.डी. 197
(2) 1997 आर.बी.जे. 308
(3) 1998 आर.बी.जे. 438

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मौलासर तहसील डीडवाना में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1017/471 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के मूल खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र आसूराम थे जिन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 3–2–2016 को निष्पादित करवायी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2937 दिनांक 14–11–2017 सरपंच ग्राम पंचायत मौलासर द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त विवादित आराजियात बाबत एक अन्य वसीयत भागीरथ मल द्वारा दिनांक 21–3–2017 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित की है। दोनों वसीयतों को अवलोकन किया गया जिसमें श्री भागीरथ द्वारा दिनांक 3–2–2016 को अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत में भागीरथ शर्मा द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये हुए है उक्त वसीयत का निष्पादन 1–2–2016 को हुआ है। अपीलार्थी के पक्ष में तसदीक शुदा प्रथम पंजीकृत वसीयत दिनांकित 03.02.2017 के प्रभाव में रहते हुए प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में तसदीकशुदा द्वितीय अपंजीकृत वसीयत 31.03.2017 को किसी भी अवस्था में प्रथम वसीयत पर कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है । इसके साथ ही वसीयत बाबत् किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है । दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विवादग्रस्त आराजियात बाबत् अपीलार्थी के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक नियमित राजस्व वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया हुआ है एवं उसके साथ में धारा 212 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 168/17 विचाराधीन होना बताया गया है जिसमें अन्तरिम आदेश दिनांक 29–11–2017 को विवादित आराजियात के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया हुआ होना भी उल्लेखित किया गया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व पंजीकृत वसीयत दिनांक 3–2–2016 को निरस्त नहीं कराया जाता है तब तक द्वितीय वसीयत के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व दस्तावेजों की भलीभॉति जांच की जानी चाहिए थी एवं दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर एक पक्षीय कार्यवाही की जाने से अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया जो तथ्यपरक समानता होने से प्रस्तुत प्रकरण में यथावत चस्पा होते है। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया किन्तु तथ्यपरक भिन्नता होने से प्रस्तुत प्रकरण में यह दृष्टांत यथावत चस्पा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय

सहायक कलेक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–6–2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–6–2018 अन्तर्गत अपील संख्या 20/2017 बउनवान सन्तोष कुमार बनाम धन्नालाल व अन्य विधि सम्मत नहीं होने तथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं ग्राम पंचायत मौलासर द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 2937 दिनांक 14.11.2017 यथावत बहाल रखा जाता है ।

(लक्ष्मी नारायणमीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर